



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2(3)परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/स्थाना/पदस्था./APO/2018/1169 जयपुर,दिनांक:- 27/4/18

—: आदेश :-

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित पंचायत समिति में किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम अधिकारी सर्वश्री	कहां से (पंचायत समिति)	कहां को (पंचायत समिति)	विशेष विवरण
1	आईदान सिंह सोलंकी	लोहावट (जोधपुर)	बापिणी (जोधपुर)	श्री महावीर सिंह के स्थान पर
2	महावीर सिंह	बापिणी (जोधपुर)	रानीस्टेशन (पाली)	श्री रविन्द्र प्रकाश आचार्य के स्थान पर
3	रविन्द्र प्रकाश आचार्य	रानीस्टेशन (पाली)	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय	-


विभागीय आदेश क्रमांक 1036 दिनांक 11.4.2018 की क्रम संख्या 12 पर अंकित श्री राकेश पुरोहित विकास अधिकारी पंचायत समिति भीनमाल जिला जालौर को आदेशों की प्रतीक्षा में किया गया था को निरस्त कर श्री पुरोहित को यथावत पंचायत समिति भीनमाल जिला जालौर में विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाकर उक्त आदेश की क्रम संख्या 11 पर अंकित श्री प्रदीप मायला का स्थानान्तरण/पदस्थापन पंचायत समिति भीनमाल जिला जालौर किया गया को निरस्त कर श्री मायला को आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय किया जाता है।

श्री आईदान सिंह सोलंकी, पंचायत समिति लोहावट जिला जोधपुर में विकास अधिकारी के रिक्त पद का कार्यभार भी अग्रिम आदेशों/नियमित विकास अधिकारी के पदस्थापन होने तक संपादित करेंगे।

उक्त विकास अधिकारी अपने पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों की वरियता के क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों से किया गया है उन्हें नियमानुसार यात्राभत्ता एवं योगकाल देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(इकबाल खान)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती सज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
8. जिला कलेक्टर, जोधपुर/पाली/जालौर।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर/पाली/जालौर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति संबंधित।
11. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
12. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
13. आदेश पत्रावली।


संयुक्त शाखा सचिव (प्रशा.1)